आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं0– ..... से .....
जिला – गिरिडीह, अंचल – धनवार, विविध वाद सं0– 21/सन–2021–22
केस का प्रकार – विविध वाद

आदेश का क0 सं0 और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
26.07.2024	–:आदेश:– यह विविध वाद अभिलेख सं0– 21/2021–22 आवेदक मो0 कुरबान, पिता– महबुब अंसारी, एवं श्रीमति सैरून बीबी, पति– इस्माइल मियाँ, साकिन– चुंजखो थाना – परसन ओ0 पी0, जिला– गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं0– 05 के द्वारा अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से समर्पित गए जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन निम्न प्रकार है : – 1. मौजा– केन्दुआ, थानां सं0– 258, खाता सं0–42, प्लॉट सं0– 06, रकवा– 64.25 ए0 भूमि सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास दर्ज है। 2. प्रथम पक्ष के शेरून बीबी पति इसमाइल मियां को केवाला सं0– 1767, दिनांक– 20.07.2013 खाता सं0– 42/52/95 प्लॉट सं0– 06, रकवा– 12 डी0 भूमि द्वितीय पक्ष के पूर्वज से प्राप्त है। उक्त केवाला से प्रथम पक्ष के मो0 कुर्बान मियां पिता स्व0 महबुब मियां को 6 डिसमील भूमि केवाला सं0– 1603, दिनांक– 02.07.2014 द्वारा प्राप्त है। 3. आवेदनानुसार प्रथम पक्ष गण वादगत भूमि पर निर्माण कार्य कर रहे थे लेकिन द्वितीय पक्ष के मो0 कमरूद्दीन एवं मो0 इसराइल दोनों के पिता अलिबक्स मियां, मो0 युनुस एवं मो0 तजमुल दोनों के पिता अजीज मियां, मो0 आसीन, पिता सोबराती मियां, सभी का साकिन– चेचायडीह, थाना– परसन ओ0 पी, द्वारा निर्माण कार्य रोक दिया गया। उक्त के संबंध में द्वितीय पक्ष गण से राजस्व कागजातों की माँग की गई, जो अबतक अप्राप्त है। 4. स्थानीय जाँच के दौरान पाया कि वादगत भूमि पर शेड निर्माण हेतु खूंटा गाडा हुआ है एंव टिन का शीट पर इधर – इधर पड़ा हुआ है, इस संबंध में ग्रामिणों से पूछ– ताछ करने पर बताया गया कि जब शेड निर्माण कार्य हो रहा था उस समय दोनों पक्ष में विवाद हो गया एवं निर्माण कार्य रोक दिया गया है। 5. द्वितीय पक्ष के मो0 कमरूद्दीन एवं मो0 इजराइल दोनों के पिता अलिबक्स मियां, मो0 युनुस एवं मो0 तजमुल दोनो के पिता अजीज मियां सभी साकिन– चेचायडीह थाना धनवार (ओ0 पी, परसन) से वादगत भूमि के दावा के संबंध में नोटिस निर्गत कर राजस्व कागजातों की माँग कर मापी हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकती है। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर पक्ष रखने को कहा गया। उभय पक्षों ने अपना – अपना दावा के समर्थन में लिखित मे पक्ष रखते हुए कागजातों की छायाप्रति पेश की है। उभय पक्षों के कागजातों तथा लिखित पक्षों का अवलोकन से अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पहुँचे हैं कि वादगत भूमि का मामला स्वत्व से संबधित है जिसपर अधोहस्ताक्षरी के स्तर से कोई भी निर्णय दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। वादीगणों को सुझाव दिया जाता है कि स्वत्व संबंधी निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकार में आवेदन दें। अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। 26.07.24 **अंचल अधिकारी,** **धनवार।**	

Digitally signed by Gulzar Anjum
Date: 2024.07.29 14:09:13 +05:30
Location: 192.168.137.1